भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 130841

<u>विक्रय अनुबन्ध पत्र</u>

प्रतिफल की धनराशि — रु0 4,22,074/—

अग्रिम धनराशि — रु0 4,22,074/—

बाजारू मूल्य — रु0 2,04,700/—

अदा किये गये जनरल स्टाम्प — रु0 42,400/—

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — [illegible]
3. ग्राम — [illegible]
4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि खसरा संख्या 821 रकबा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

130842

-2-

0.035 हे0, खसरा संख्या 812 रकबा 0.061 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.080 हे0 स्थित– ग्राम अहमामऊ, परगना लखनऊ, तहसील व जिला लखनऊ

5. मापन की ईकाई — हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल— 0.080 हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति — अमरशहीद पथ से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 114380

- 3 -

9. पेड़ों की स्थिति — कोई पेड़ नहीं है।

10. बोरिंग / कुआं अन्य — कुछ भी नहीं है।

<u>चौहद्दी खसरा नं० 821</u>

उत्तर : खसरा संख्या– ८२८

दक्षिण : खसरा संख्या– ८३३

पूरब : खसरा संख्या– ८३०

पश्चिम : खसरा संख्या– ८१५, ८३६

<u>चौहद्दी खसरा नं० 812</u>

उत्तर : खसरा संख्या– ८१०

दक्षिण : खसरा संख्या– ८२०

पूरब : खसरा संख्या– ८१३

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C114381

परिशिष्ट : खसरा संख्या– 912

प्रथम पक्ष की संख्या–1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

प्रथम पक्ष का विवरण	द्वितीय पक्ष का विवरण
लाला पुत्र भैकू निवासी –अहमामऊ, परगना लखनऊ तहसील व जिला लखनऊ।	गनेश पुत्र निर्भीलाल निवासी ग्राम निर्भापुर मिटरी पो० मौर्जा, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय– कृषि	व्यवसाय– कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 114782

-5-

यह अनुबन्ध पत्र लाला पुत्र मैकू निवासी —अहमामऊ, परगना लखनऊ तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है एवम् गनेश पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर सिठारी पो० नौनीं, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 821 रकबा 0.038 हे0, खसरा संख्या 812 रकबा 0.051 हे0 इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा 0.089 हे0 स्थित— ग्राम अहमामऊ, परगना लखनऊ, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिल व काबिज है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 110614

और उपरोक्त सत्यापित षट्वार्षिक खाता खतौनी क्रम सं० 00547 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर रहा है प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है। और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय अनुबन्ध के पूर्व कहीं बय,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप सम्पूर्ण धनराशि रु0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 110616

- 8 -

482.074/– के प्रतिफल में जिसका विवरण इस अनुबन्ध पत्र के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कराई बैय किया है, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहां स्वीकार करते हैं। प्रथम पक्ष उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त करके देगा और अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद एक महीने के अन्दर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के हक में बैनामा कर देगा। यदि इस अनुबन्ध पत्र के निष्पादन के बाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोई विवाद या किसी अन्य व्यक्ति का दावा उक्त भूमि से सम्बन्धित प्रकट होता है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को सम्पूर्ण अग्रिम धनराशि मय ब्याज व हर्जे खर्चे सहित वापस करेगा। यदि प्रथम पक्ष अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद रजिस्ट्री करने में कोई हीला हवाली करता है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष से द्वारा न्यायालय बयनामा करा लेगे। प्रथम पक्ष ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम पक्ष ने

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DEC

L K O T R Y

विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। प्रथम पक्ष व उनके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उनके

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

344/65

गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि इस अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे।

यह कि इस अनुबन्ध पत्र के साथ उक्त भूमि का कब्जा प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अकमालपुर अर्धनगरीय क्षेत्र के अतिविशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 23,00,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.089 हेक्टेअर की कुल मालियत 2,04,700/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 42,300/- + 100/- =42,400/- का जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 844167

उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनो

उप निबन्धक (द्वितीय)

[illegible]

422,074.00 204,700.00 422,074.00 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

लीली

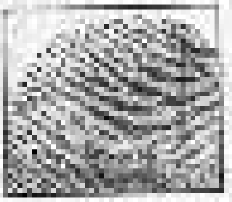

[illegible] [illegible] 12/12/2007 [illegible]

[illegible]

लीली

आर. के. [illegible]
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
12/12/2007

[illegible]

विक्रेता
लीली

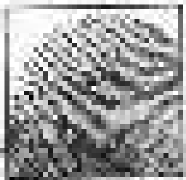

क्रेता
[illegible]

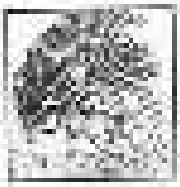

[illegible]
[illegible] कुमार [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] लखनऊ
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

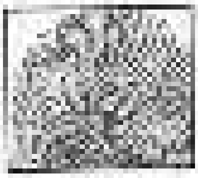

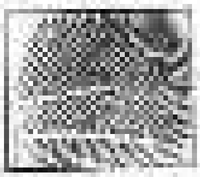

[illegible]

[illegible]

आर. के. [illegible]
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
12/12/2007

अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्टः भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेताको रू0 4,22,074/– द्वारा चेक संख्या– 604012 दिनांकित 13.12.2007 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ से क्रेता को प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेताको कुल विक्रय मूल्य 4,22,074/– (रूपया चार लाख बाईस हजार चौहत्तर मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतास्वीकार करते हैं तथा अब विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक : 13.12.2007

गवाह :- क्रेता की पहचान की

1.

विक्रेता

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

टाईपकर्ता–

(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता–

(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

Registration No. 11455 Year : 2007 Book No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता .... [illegible]

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

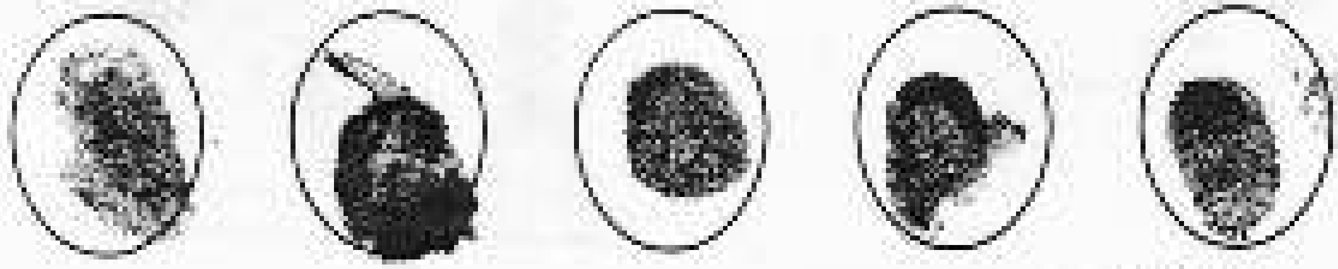

लाली

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : .... [illegible]

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

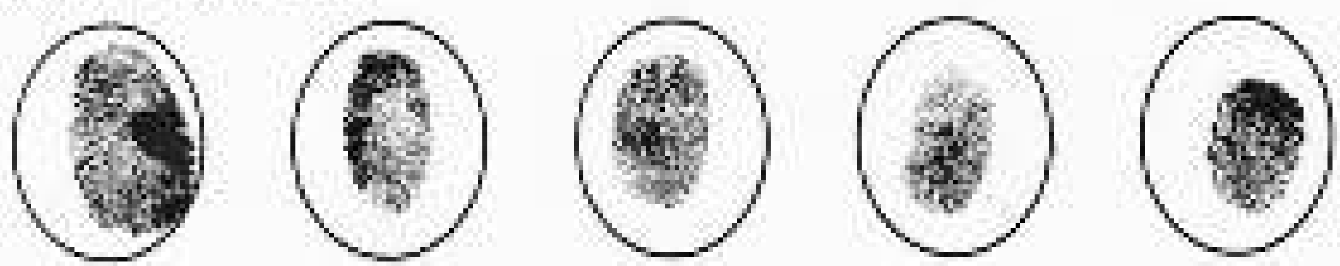

[illegible]

Registration No. 11455 Year 2007 Book No. 1

0001 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

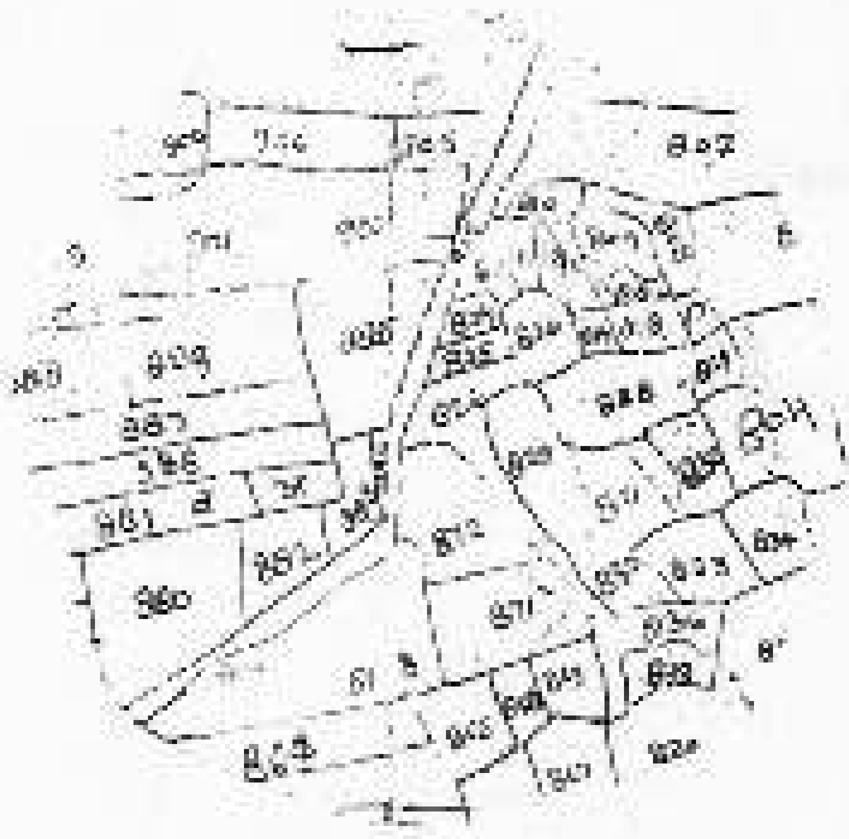

आज दिनांक 13/12/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 7120

पृष्ठ सं 115 से 148 पर क्रमांक 11455

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

आर. के. श्रीवास्तव
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
13/12/2007